न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

बिशंबर दत्त,, — *याचिकाकर्ता*

बनाम

भारत और अन्य , — ***प्रतिवादी***

C.W.P. 2001 की संख्या 5153

11 नवंबर, 2010

भारत का संविधान,1950— अनुच्छेद 226-डॉक्टर ने एचआईवी पॉजिटिव मरीज को आगे की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया-याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार कर दिया–आईटीबीपी के अन्य दो डॉक्टरों ने याचिकाकर्ता को आगे की नौकरी के लिए चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाया-सरकारी निर्देश और भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप से एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों को नौकरी में बनाए रखने का प्रावधान करती है,अर्धसैनिक बल, अनुपयुक्त श्रेणी में आने वालों को छोड़कर - केवल एचआईवी पॉजिटिव होना ही अर्धसैनिक बलों के किसी सदस्य को सेवा और यहां तक कि पदोन्नति से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है - भले ही याचिकाकर्ता को 1995 में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, लेकिन वह आज तक सेवा में है - उन्हें पदोन्नति से वंचित करने का कोई कारण नहीं है-याचिका स्वीकार की गई।

ऐसा अभिनिर्णित किया गया कि निर्देश और भारत सरकार की नीति स्पष्ट रूप से अयोग्य श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर अर्धसैनिक बलों में एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों को नौकरी में जारी रखने का प्रावधान करती है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री के जवाब और सरकार के निर्देशों से यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि केवल एचआईवी पॉजिटिव होना ही अर्धसैनिक बलों के किसी सदस्य को सेवा या यहां तक कि पदोन्नति से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत, ऐसे मामलों में सेवा और पदोन्नति संरक्षित है जहां बीमारी स्पर्शोन्मुख है। याचिकाकर्ता भी आज इस गणना के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। वह काफी युवा, हृष्ट-पुष्ट और जाहिर तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतीत होता है। बहरहाल,

उन्हें सेवा में बरकरार रखा गया है। हालांकि साल 1995 में उन्हें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन वह आज भी सेवा में हैं। उन्हें प्रमोशन देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

(पैरा 9)

हरदयाल भट्ट,वकील व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता के साथ।

एस. के. शर्मा, अधिवक्ता *उत्तरदाताओं के लिए।*

बिशंबर दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य

(न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली)

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली

(1) एचआईवी पॉजिटिव याचिकाकर्ता को पदोन्नति से केवल आशंकाओं के आधार पर अधिकारियों द्वारा वंचित किए गए कथित भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ न्याय मांगने के लिए यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता को शुरू में 11 जुलाई, 1987 को एक कांस्टेबल (जीडी) के रूप में भर्ती किया गया था। उसे दूसरी बटालियन देहरादून में आवंटित किया गया था। योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर उन्हें 21 जनवरी 1992 को एल/एनके रैंक पर पदोन्नत किया गया।अगली पदोन्नति नायक (जीआई) के पद पर है जिसके लिए याचिकाकर्ता योग्य था। अन्य योग्य अभ्यर्थियों के साथ विचाराधीन,महानिदेशक के आदेश संख्या 1.19012/3/95 स्था.8.21705, दिनांक 16 नवंबर, 1995 जो 14 नवंबर 1995 से प्रभावी था ,के तहत उन्हें पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल किया गया था और उन्हें 950 1,150-ईबी25-1.400 प्लस मूल, विशेष वेतन और समय-समय पर स्वीकार्य अन्य भत्ते के वेतनमान में 14 नवंबर, 1995 से पदोन्नति दी गई थी। सूचीबद्ध पदोन्नतियों को प्रतिवादी संख्या 4 के दिनांक 12 दिसंबर 1995 के आदेश के तहत वास्तविक पदोन्नति दी गई थी और याचिकाकर्ता का नाम इस पदोन्नति आदेश में शामिल नहीं था, हालांकि उनके पैनल में शामिल कुछ कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था। यह पदोन्नति जनरल निदेशक, आईटीबीपीके आदेश दिनांक 16 नवंबर, 1995 का संदर्भ है। पैनल में शामिल होने से पहले, याचिकाकर्ता की जांच 13 जुलाई, 1994 डॉ. एम.वी.के. द्वारा की गई थी और उक्त डॉक्टर ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर आईटीबीपी में आगे की नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया कि वह एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था। डॉ. एम.वी.के. राव की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर, याचिकाकर्ता की पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया, जैसा कि अनुबंध पी-3 से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने बेस अस्पताल के डॉ. सुनील चौधरी की एक अन्य रिपोर्ट का हवाला दिया है जिसने याचिकाकर्ता को सेवा के लिए योग्य घोषित किया और AYE श्रेणी में रखा गया।यह भी कहा गया है कि बाद में याचिकाकर्ता की दोबारा डॉ. एम.वी.के. राव द्वारा 6 जून 1996 को जांच की गई और उन्हें आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया गया, लेकिन जैसा कि अनुलग्नक पी-5 से स्पष्ट है,कि चिकित्सा निगरानी में रखा गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बल सेवा के लिए पूरी तरह योग्य है बावजूद इसके, कि वह एचआईवी पॉजिटिव है वह किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता से पीड़ित नहीं है। याचिकाकर्ता ने 17 अक्टूबर 1996 को एक अभ्यावेदन उनकी पूर्वव्यापी पदोन्नति नायक (जीडी) के पद पर करने के लिए दिया । कोई जवाब न मिलने पर उनके वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजा गया। चूंकि

अभ्यावेदन/कानूनी नोटिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई , याचिकाकर्ता ने यह याचिका नायक (जीडी) के पद पर उनकी दिनांक के अनुमोदन के आधार पर उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया, पदोन्नति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाने के लिए दायर की।

(2) उत्तरदाताओं ने लिखित बयान दाखिल किया है। महानिदेशालय, आईटीबीपी द्वारा दिनांक 16 नवंबर, 1995 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता की पदोन्नति की मंजूरी को न केवल स्वीकार किया गया है, बल्कि इसकी एक प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में रिकॉर्ड में भी रखी गई है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति के लिए मंजूरी दे दी गई है और उसकी चिकित्सा श्रेणी को AYE दर्शाया गया है।। अनुलग्नक आर-1 में आगे उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विभागीय सतर्कता जांच लंबित नहीं है। याचिकाकर्ता का नाम प्रमोशनल पैनल के क्रमांक 58 पर है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एचआईवी से पीड़ित है और उसका मामला निर्णय के लिए मुख्यालय भेजा गया था और चिकित्सा शाखा मेमो, दिनांक 6 दिसंबर 1995 (अनुलग्नक आर -3) के आलोक में, उसका नाम आदेश दिनांक 12 दिसंबर, 1995 के तहत औपचारिक पदोन्नति में शामिल नहीं किया गया था। हालाँकि, उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ चार व्यक्तियों और याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ दो व्यक्तियों को चिकित्सा श्रेणी AYE में पदोन्नत किया गया है और उनके खिलाफ कोई विभागीय/सतर्कता मामला लंबित या विचाराधीन नहीं था। याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर पदोन्नति से बाहर किया है कि वह एचआईवी पॉजिटिव मामला है। याचिकाकर्ता के इस दावे से भी इनकार नहीं किया गया है कि उसे आईटीबीपी के दो डॉक्टरों द्वारा आगे की नौकरी के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य पाया गया है।

(3) बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के संबंध में गृह मंत्रालय, कार्मिक विभाग द्वारा जारी सरकारी निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा है। यह निर्देश केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सेवारत कर्मियों के वर्गीकरण और उनकी पदोन्नति के मानदंडों से संबंधित है। अर्धसैनिक बलों के रैंकों में पदोन्नति के उद्देश्य से विभिन्न चिकित्सा श्रेणियों के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए गए हैं: —

"(i) पचपन वर्ष से अधिक आयु के बल कर्मियों को एस1 एच2ए1 पीआईईआई (बिना श्रवण सहायता के), एसआई एचआई एआईपी! ई2 (सुधार के साथ प्रमुख आंख 6/9 से अधिक खराब नहीं होनी चाहिए) और एस1 111 की निचली चिकित्सा श्रेणी में रखा गया है। और A1 12 EI (केवल दंत कारणों के लिए) को मेडिकल श्रेणी SHAPE-I के बराबर माना जाएगा और सामान्य तरीके से उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए योग्य होंगे।

बिशंबर दत्त बनाम भारत सरकार और अन्य (न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली)

(ii) जहां तक अधिकारियों का सवाल है, जिन्हें मेडिकल बोर्ड/समीक्षा मेडिकल बोर्ड द्वारा SIHI AZPI EI और SI HI A1 P2E1, लोअर मेडिकल वर्गीकरण में डाल दिया गया है, जो अन्यथा फिट हैं पदोन्नति के लिए, उनकी उपयुक्तता का पुनः मूल्यांकन एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष गृह सचिव होते हैं,संबंधित बल के महानिदेशक, एडीजी (मेड), एमआईए और एडीजीएचएस द्वारा नामित विशेषज्ञ, बोर्ड सदस्य के रूप में होंगे। बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों पर विचार करते हुए उस अधिकारी की उपयुक्तता का आकलन करें, जो अन्यथा उपयुक्त है पदोन्नति के लिए, लेकिन उपर्युक्त चिकित्सा श्रेणियों में है

(अ) अधिकारीअधिकारी सामान्य कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम है जिस पद पर उसे पदोन्नत किया जा रहा है।

(ब) कोई दोष, विकलांगता या असुविधा जो अधिकारी को हो रही है, सेवा शर्तों से उसके बढ़ने की संभावना नहीं है।

(स) बोर्ड द्वारा पदोन्नति के लिए योग्य पाए गए अधिकारियों को डीपीसी की सिफारिशों के अनुसार अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया जाएगा।

(द)बोर्ड का मूल्यांकन अंतिम होगा।

(iii) एचआईवी पॉजिटिव के लिए चिकित्सा वर्गीकरण विशेष रूप से उपरोक्त निर्देशों के पैरा (iv) में पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता पर विचार करने के लिए बनाया गया है जो निम्नानुसार है : —

(iv) एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों के लिए मॉडिकल वर्गीकरण नीचे दिए अनुसार किया जाएगा:-

पी-1 एचआईवी पॉजिटिव स्पर्शोन्मुख कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए उपयुक्त

एआरटी पर नहीं

सीडीएक्स गिनती: सामान्य

अन्य पैरामीटर जैसे वायरल लोड

सामान्य

पी-2 एचआईवी पॉजिटिव

वजन में 10% से अधिक की कमी CD4. (200 सेल्स/माइक्रोलीटर से ऊपर), सीडीएक्स, सामान्य सीमा के भीतर गिनती, कुल लिम्फोसाइट गिनती 1200m3 से ऊपर

मामूली म्यूकोक्यूटेनियस
भिव्यक्तियाँ/मामूली संक्रमण
अएआरटी के साथ या उसके बिना

पी –3 वजन में 10% से अधिक की हानि% सीडी 4 200 से कम गणना कोशिकाओं / microliu-ई

से अधिक वायरल लोड
50,000 प्रतियां,

अस्पष्टीकृत जीर्ण. डियान-Hcai

मैं महीने से ज्यादा बुखार अवसरवादी संक्रमण: -(1) पल्मोनरी टीबी (2) ओरल

थ्रश (3) हर्पीज ज़ोस्टर अधिक 1 महीने (4) 1, यूकोप्लाकिया से आदि अफि पर-

पी 4 मैं lospitalisation / के कारण छोड़ देता हूं

111V संबंधित रोग / एड्स

पी 5के लिए असंतोषजनक प्रतिक्रिया

फोर्स के लिए अस्थायी अनफिट कर्तव्यों.

किसी के लिए स्थायी रूप से

ARV, (C [) 4 से कम गिनती एआरटी के साथ 200 सेलस्टिमियरोलिट्रे)

17-11V बर्बाद सिंड्रोम न्यूरोलॉजिकल को अक्षम करना' मनोरोग संबंधी समस्याएं

विघटित तपेदिक गरीब शारीरिक धीरज संबद्ध

एड्स के साथ

कार्यात्मक विकलांगता अधिक 50% से अधिक%.

(५) याचिकाकर्ता की मेडिकल रिपोर्ट से, डॉक्टर बदल जाते हैं याचिकाकर्ता की जांच के तहत उसकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया गया है: ---

"प्यूब: 76 / एनटी, नियमित, सामान्य मात्रा

HP 110/80mnhg am super alebule

एमआर 16 / एनटी नियमित

कोई पैलोर, सायनिसिस, क्लबिंग, केर्लोनीक्लिया, कोई लिम्फैडेनोपैथी नहीं, ,आईवीपी, पी. एडिमा, कोई आइकटरिस नहीं

सीवीएस

छातीVAD

अब्द

सीएनएस

छोटा सा भूत. 1-IIV.1-ve (Asympatomatic)

स्टेज- II-NO एड्स संकेतक रोग / लक्षण मौजूद / 1993 के वर्गीकरण चरण-ए के अनुसार.

रोगी को स्पर्शोन्मुख और लंबे ऊष्मायन अवधि के मद्देनजर एड्स विकसित करने के लिए (8-10 वर्ष).

दिसंबर, 1993 में पाया गया था. इले को अभी दो साल पूरे हुए थे और यह देखते हुए कि इसके बारे में कुछ सफलता हो सकती है इस समय अंतराल में उपचार. रोगी की सिफारिश की जाती है :

मैं।सेवा में बनाए रखा जाए.

"लीवर, डायन जैसे कुछ लक्षणों तक "lb" AYE "पर रहता है- हीया एक महीने से अधिक समय तक, वजन कम होता है.

III. यूनिट चिकित्सा अधिकारी की निगरानी के तहत रिमैन करने के लिए और 6 महीने / या लक्षणों के सेट पर भेजा जाना जो भी पहले हो.

IV. कोई दवा नहीं.

(एसडी।). .

(डॉ. सूर्य चौधरी)

एम.डी. (मेड।) डीआरएम

चिकित्सा और परमाणु चिकित्सा में विशेषज्ञ ”".

(6) यहां तक कि डॉ. एमवीके राव, जिन्होंने शुरू में याचिकाकर्ता को बाहर करने की सिफारिश की थी, ने फिर से प्रमाणित किया कि वह सरकारी कर्तव्य के लिए उपयुक्त है। याचिकाकर्ता के मामले में कुछ भी असामान्य नहीं पाया गया है, सिवाय इसके कि उसके रक्त परीक्षण में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। इस प्रकार, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, याचिकाकर्ता कम से कम श्रेणी ई-2 में आता है।

(7) याचिकाकर्ता ने राज्यसभा की कुछ कार्यवाही का भी हवाला दिया है. राज्यसभा में एचआईवी पॉजिटिव लोगों के रोजगार को लेकर खास सवाल उठाया गया. प्रासंगिक प्रश्न इस प्रकार है -

> "(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीति क्या है और क्या है और एचआईवी पॉजिटिव लोगों के रोजगार के संबंध में भारत सरकार की नीति क्या है और उन लोगों के बारे में भी जो पहले से ही सेवा में हैं और एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं

(8) रक्षा मंत्रालय के तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुन ने उपरोक्त प्रश्न का उत्तर दिया और उनका उत्तर इस प्रकार उद्धृत किया गया है —

> "(ए) से (सी)"(ए) से (सी) कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से लौटने पर पिछले पांच वर्षों के दौरान छब्बीस कर्मियों को एचआईवी पॉजिटिव पाया गया। उनमें से किसी को भी आज तक एड्स नहीं हुआ। ये व्यक्ति अभी भी सेवा में हैं और हैं नियमित निगरानी पर है। हालाँकि, वायु सेना के एक मास्टर वारंट ऑफिसर (एम.डब्लू.ओ.) की लखनऊ में एड्स से मृत्यु हो गई है। उनके संक्रमण का स्रोत 1989 में उनके द्वारा बार बार प्राप्त किया गया रक्त संक्रमण हो सकता है जब वह बोत्सवाना में एक असाइनमेंट पर थे। इसके अलावा अर्धसैनिक बल के दो कर्मी विदेश में मिशन से लौटने पर एचआईवी पॉजिटिव पाए गए: उनमें से एक अभी भी सेवा में है जबकि दूसरे को अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है (एचआईवी संक्रमण के आधार पर नहीं)। विश्व स्वास्थ्य संगठन एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव ना करने की वकालत करता भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है। भारत इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक है।"

(9) दाखिल जवाब में इस तथ्य पर विवाद नहीं किया गया है. ऊपर दिए गए सरकारी निर्देशों और भारत सरकार की नीति में स्पष्ट रूप से अर्धसैनिक बलों में एचआईवी पॉजिटिव कर्मियों को नौकरी पर बने रहने का प्रावधान है, सिवाय अयोग्य श्रेणी के कर्मियों को छोड़कर।राज्यसभा में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री के जवाब और सरकार के निर्देशों के अनुसार, यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं बची है कि केवल एचआईवी पॉजिटिव होना ही अर्धसैनिक बलों के किसी सदस्य को सेवा या यहां तक कि पदोन्नति से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत, ऐसे मामलों में सेवा और पदोन्नति संरक्षित है जहां बीमारी स्पर्शोन्मुख है। याचिकाकर्ता भी आज इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। वह शांत ,स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट युवा,और जाहिर तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतीत होता है। हर हाल में, वह सेवा में रखा गया है। हालांकि वह वर्ष 1995 में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन वह आज तक सेवा में हैं। उन्हें पदोन्नति से वंचित करने का कोई कारण नहीं है।

इसके खुद के गति पर भाग v. JASWANT SARPAI l,235

(हलनिनी गुप्ता, .1)

(10) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को एनके (जीडी) के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाता है जिसे 12 दिसंबर, 1995 से प्रभाव में लाया जाएगा वह तारीख जब उनसे कनिष्ठ व्यक्ति थे पदोन्नत किए गए थे।वह सभी परिणामी लाभों का हकदार होगा जो कि पदोन्नति पद की परिलब्धियाँ, वरिष्ठता आदि है तथा आगे पदोन्नति के लिए , यदि कोई हो तो विचार में लाया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा